न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान

मूर्ति मंदिर श्री रामजानकी बनाम श्रीलाल

किस्म मुकदमा धारा-223 मि.नं. 33/2018 सन

अभिभाषक अपीलान्ट श्री उमाशंकर गोस्वामी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट महेश शर्मा R-1,2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
09-10-23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट व अभिभाषक रेस्पो० R-1,2 उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट श्री उमाशंकर गोस्वामी द्वारा उपस्थित होकर आदेशिका पर NOTE PRESS अंकित कर स्वयं हस्ताक्षर मय दिनांक प्रस्तुत किये। तथा अपील को NOTE PRESS करने हेतु निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट के अपील को NOTE Press करने के निवेदन को न्यायहित में स्वीकार कर उक्त अपील को NOTE PRESS में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	NOTE Press 9/10/23

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

न्यायालय भू प्रबन्धक अधिकारी, पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या /2018

1. मूर्ति मंदिर श्रीराम जानकी, विराजमान पुराने अस्पताल के पास, छबड़ा, नाबालिग जरिये पुजारी संरक्षक, मांगी दास पुत्र भूरा दास, जाति बैरागी, निवासी छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बांरा (मृतक)

1/1 जगन्नाथी पुत्री मांगीदास,

1/2 सत्यनारायण पुत्र मांगीदास,

1/3 दाखा बाई पुत्री मांगीदास,

1/4 रामनारायण पुत्र मांगीदास,

जातियान बैरागी, निवासीगण छबड़ा, तहसील छबड़ा जिला बांरा (राज0)

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीलाल पुत्र भंवरलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम चांचोड़ा, तह0 छबड़ा जिला बांरा (राज0)

2. प्रेम पुत्र रघुनाथ, जाति गाडरी गुर्जर, निवासी ग्राम बारई, तह0 छबड़ा जिला बांरा (राज0)

3. हरगोविन्द पुत्र पन्नालाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जेपला, तह0 छबड़ा जिला बांरा (राज0)

—रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 19.12.2017, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा, वाद कमांक 102/01, बउनवान रामजानकी बनाम श्रीलाल वगै0 से अप्रसन्न होकर

मान्यवर,

अपीलान्ट निम्न अपील प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट मंदिर श्री रामजानकी विराजमान छबड़ा के पुजारी है, लो लंबं अरसे से मंदिर का पूजा भोग करते आ रहे है। मंदिर की आराजी खसरा नं0 26 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा, ग्राम चांचोड़ा, खसरा नं0 66 की 19 बिस्वा, ग्राम बारई एवं खसरा नं0 566 की रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा ग्राम जैपला में स्थित है, जिस पर रेस्पो0 ने कब्जा कर रखा है, जिन्हें बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे। मूर्ति की मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा बनाये रखने का रेस्पो0 को कोई अधिकार नहीं है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स का वाद खारिज करने में गंभीर त्रुटि की है, जिससे असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही है –

अपील के आधार

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.12.17 आर्बीट्रेरी, केप्रिसियस तथा परवर्स है तथा कानूनी सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है।
2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.12.17 गैरकानूनी है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी तथ्यों को नजदअंदाज कर उक्त निर्णय पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।